

डॉ. सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

पुर्नमूल्यांकन / पुर्नगणना की सूचना

टीप:- परीक्षा का नाम अनुक्रमांक, नामांकन/पंजीयन क्र. विषय, प्रश्न-पत्र एवं स्वयं के पते की पूर्तिया परीक्षार्थी सुवाच्य लेख में स्वयं करें।

छात्र/छात्रा का नाम:-

परीक्षा केन्द्र का नाम:-

अनुक्रमांक:- नामांकन क्र.

परीक्षा का नाम:- वर्ष की मुख्य/पूरक परीक्षा

1. प्रश्न-पत्र.....

2. प्रश्न-पत्र.....

कार्यालयीन उपयोग के लिये

आपके पुर्नमूल्यांकन/पुर्नगणन/आवेदन-पत्र के संदर्भ में निम्नानुसार सूचित किया जाता है कि पुर्नमूल्यांकन / पुर्नगणन के पश्चात :-

- i. अंकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- ii. मात्र अंकों में परिवर्तन हुआ है।
- iii. अनुत्तीर्ण से पूरक घोषित किया गया है।
- iv. अनुत्तीर्ण/पूरक से उत्तीर्ण घोषित किया गया है।
- v. उत्तीर्ण से पूरक घोषित किया गया है।
- vi. उत्तीर्ण से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है।
- vii. पुर्नमूल्यांकन की पात्रता नहीं है।

पूरक घोषित छात्र/छात्रा को प्राचार्य द्वारा पूरक परीक्षा आवेदन-पत्र जमा करने हेतु (इस पत्र की छायाप्रति संलग्न करने पर) बिना विलंब शुल्क के आवेदन जमा करने की अनुमति कृपया दी जाये।

उप/सहायक कुलसचिव (गोपनीय)
डॉ. सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय

(छात्र/छात्रा स्वयं का पता सुवाच्य लेख में लिखें)

प्रति.

प्रति.
मो.नं.-

प्रति,

कुलसचिव,

डॉ. सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय,
करगीरोड, कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
पिन कोड - 495113

डॉ. सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

पुर्नमूल्यांकन / पुर्णगणना हेतु आवेदन-पत्र

(समस्त पूर्तियां परीक्षार्थी स्वयं सुवाच्च लेख में करें।)

1. परीक्षार्थी का नाम एवं पूर्ण पता:-			
2. परीक्षा का नाम :- (अंकसूची की भूलप्रति एवं एक छाया प्रति संलग्न करें)			
3. नियमित/स्वाध्यार्थी:-			
4. परीक्षा केन्द्र का नाम:-			
5. अनुक्रमांक	नामांकन/पंजीयन क्र.		
6. मुख्य/प्रैक्टिक परीक्षा वर्ष:-			
7. परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि:-			
8. दूरभाष नं./मोबाइल नं.: -	1.	2.	
9. विषय तथा प्रश्न-पत्र का नाम जिसमें पुर्नमूल्यांकन/पुर्णगणना करना है। (नियमानुसार पुर्नमूल्यांकन हेतु अधिकतम वो प्रश्न-पत्रों की उत्तरापुस्तिकाओं के लिए आवेदन करें अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।)	P्रश्न-पत्र में प्राप्त अंक	P्राप्तांक	पूर्णांक
1.			
2.			

मैं विश्वविद्यालय के अध्यादेश में उपर्युक्त विषय में निहित धोषणा की शर्तों को तथा समय-समय पर उससे संशोधनों का पालन करने के लिए बाध्य हूँ।

उपरोक्त आवेदन-पत्र का निराकरण पुर्नमूल्यांकन पद्धति में सुधार के नियमानुसार किया जायेगा, जो मुझे स्वीकार्य होगा तथा इस संबंध में विश्वविद्यालय का नियम मुझे मान्य होगा।

पता

परीक्षार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर

- नोट:-**
- छात्र पुर्नमूल्यांकन के विषय सोच समझकर भरें क्योंकि किसी भी परिस्थिति में विषय परिवर्तन करना संभव नहीं है।
 - विश्वविद्यालय में प्राप्त अंकसूची की तिथि जो अंकसूची पर अंकित है से 15 दिनों के अंदर आवेदन स्वीकार किया जायेगा। इसके बाद के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं होंगे।

केवल कार्यालय उपयोग के लिये

अध्यादेश अनुसार कृपया स्वीकार करें।

लेखा विभाग

सहा. कुलसचिव (परीक्षा)